

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक-14/06/17
3775 सं०-SUDA/AMRUT/CERC-GIS-MP/04/2017..... विभागीय अधिसूचना संख्या-
2772, दिनांक-24.04.2017 द्वारा अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के
तहत चयनित 07 शहरों के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के क्रम में एक
परामर्शी एवं मूल्यांकन समीक्षा समिति (Consultancy Evaluation and Review Committee
(CERC)) का गठन किया गया है।

2. नगर एवं ग्राम्य नियोजन संगठन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-
F.No. 2-16 (16) AMRUT/URIS/TCPO, दिनांक-25.05.2017 के अनुपालन में उपरोक्त
अधिसूचना की कंडिका-2 में निम्नांकित अधिरोपित किया जाता है :-

समिति GIS आधारित मास्टर प्लान एवं जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार करने के
क्रम में Geo-data सृजन के कार्यों के अनुश्रवण एवं समीक्षा भी करेगी।

3. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

(अरुण कुमार सिंह)

3775 सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-SUDA/AMRUT/CERC-GIS-MP/04/2017..... राँची, दिनांक-14/06/17

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, मुख्यालय (स्था0)-सह-नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर
विकास विभाग को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु/अधीक्षक, राजकीय
मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3775 सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-SUDA/AMRUT/CERC-GIS-MP/04/2017..... राँची, दिनांक-14/06/17

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (नगर विकास एवं आवास विभाग) के आप्त सचिव/प्रधान
सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, SUDA/निदेशक,
नगरीय प्रशासन निदेशालय/सभी संयुक्त सचिव/नगर निवेशक/सभी उप सचिव/सभी
अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको
लि0/नगर आयुक्त/उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/सभी कार्यपालक/सभी विशेष
पदाधिकारी, सभी नगर निकाय, झारखंड/समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव